रैली पर प्रतिबन्ध

4211. **श्री बीरेन जे. शाह :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 25 फरवरी, 1993 को दिल्ली में एक आम रैली पर प्रतिबन्ध लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्रतिबन्ध को लागू करने के लिये दिल्ली राज्य में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो 25 फरवरी, 1993 को कुल कितनी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उस दिन तैनात पुलिस बलों ने उक्त रैली को रोकने के लिये कार्यवाही की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो 25 फरवरी, 1993 को इस कार्यवाही के अन्तर्गत दिल्ली में कितने स्थानों पर अश्रु गैस के गोले, लाठी चार्ज तथा पानी की फुहार का उपयोग किया गया और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) से (घ) भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली के बोट क्लब मैदान पर दिनांक 25 फरवरी, 1993 को एक रैली आयोजित करने का आह्वान किया था । देश में तथा राष्ट्रीय राजधानी में व्याप्त नाजुक साम्प्रदायिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा समुदायों के बीच साम्प्रदायिक अविश्वास की दृढ़ अन्तर्धारा को देखते हुए भी, जबकि एक छोटी सी घटना भी गंभीर झगड़े का रूप ले सकती थी, सरकार नई दिल्ली में ऐसी रैली आयोजित किये जाने के पक्ष में नहीं थी। दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने इस बारे में दिनांक 18 फरवरी, 1993 को निषेधाज्ञा जारी कर दी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पूर्व अनुमति के बिना 60 दिन तक के लिये किसी आम सभा अथवा रैली को आयोजित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । 25 फरवरी, 1993 को दिल्ली पुलिस के साथ-साथ बाहरी बलों की 154 कम्पनियां तैनात की गयी थी।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि बिट्ठल भाई पटेल भवन के पास गैर कानूनी रूप से एकत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिये बाटर कैनन और अश्रु गैस का प्रयोग किया गया तथा हल्का लाठी चार्ज किया गया । 5 अन्य स्थानों पर भी गैर कानूनी रूप से एकत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रु गैस छोड़ी गयी और हल्का लाठी चार्ज किया गया। पुलिस द्वारा किये गये बल प्रयोग के परिणामस्वरूप 37 व्यक्ति घायल हो गये। भीड़ के हिंसक रूप ले लेने से 7 पुलिस कर्मी भी घायल हो गये।

Complaints against BSF Officers working on Deputation in Punjab

4212. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of S.P. and above level officers posted in police training centres in Punjab, who have been on deputation from B.S.F. and have completed their normal period of deputation;

(b) whether the State Government of Punjab have received complaints of corruption and arbitrary practices adopted by these officers;

(c) whether the Union Government have sought any report about the conduct of these officers and the action thereon; and

(d) the steps taken by Government to ensure that the deputationist officers involved in corruption be immediately reverted back to their parent cadres?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) 3 officers on deputation from BSF are posted in Police Training Centres in Punjab and they have completed their initial period of deputation.

(b) The State Government received two complaints against one of these officers. The State Government have found that the allegations levelled in one complaint have not been substantiated. The other complaint is under enquiry by the State Government.

(c) No, Sir. ..

(d) Does not arise.

उज्जैन में साम्प्रदायिक-दंगे

4213. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में दिसम्बर, 1992 में हुए साम्प्रदायिक दंगों में कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा क्या मारे गये व्यक्ति में सुरक्षा कर्मी भी थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने सुरक्षा-कर्मी मारे गये तथा उनके नाम व पते क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त दंगों में मारे गये व्यक्तियों के निकट सबंधियों को कितनी-कितनी सहायता राशि दी गयी ; और

(घ) इन दगों में मारे गये सुरक्षा-कर्मियों के निकट संबंधियों को कितनी-कितनी सहायता राशि दी गयी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद) : (क) उज्जैन में दो सुरक्षा अधिकारियों सहित दस व्यक्ति मारे गये।

(ख) दो सुरक्षा कार्मिक नामत: श्री नारायण सिंह, संख्या 911, डी.आर. पी. लाईन्स, उज्जैन तथा श्री बिहारी लाल पुत्र मोहन दास, होम गार्ड कैम्प, महाकाल, उज्जैन मारे गये।

(ग) दो लाख बीस हजार रुपये।

(घ) बीस हजार रुपये।

Denial of right to worship in Lakshadweep

4214. SHRI D. RAJA GOPAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government servants are being denied the right to worship in a small Sree krishna Temple in Minicoy in Lakshadweep;

(b) whether it is also a fact that a plan is afoot to demolish that temple; and

(c) if so, what action Government contemplate to restore confidence amongst the devotees and safety of the temple?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Bomb blasts in the country

4215. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of bomb blasts which took place in the different parts of the country during the last 3 months (State-wise) particularly in Bombay;